छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 286/06 एवं 287/06</u>

श्री खीस्ट जॉन चिनप्पा,
अधिवक्ता,
साकिन रेल्व कालोनी,
बंगला यार्ड, बिलासपुर
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय– मुख्य अभियंता,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 28 दिसम्बर 2006)

श्री खीस्ट जॉन चिनप्पा, एडवोकेट, बिलासपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी–मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर के आदेश दिनांक 23.05.2006 से असंतुष्ट होकर अपील क्रमांक 286 एवं 287 प्रस्तुत की है। उक्त दोनों अपील के विषय–वस्तु एक ही प्रकार की है तथा पक्षकार भी समान है, अतः उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ विचार किया गया है।

2/ अपीलार्थी ने अपील क्रं. 286 एवं 287 में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर के कार्यालय से दस विषयों के दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां चाही थीं। उसके द्वारा दिनांक 01.04.2002 से 31.03.2003 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा सामग्री के क्रय करने हेतु जारी किए गए टेण्डर की छायाप्रति, प्राप्त टेण्डर के फर्मों के नाम, पता एवं दिये गये कोटेशन टेण्डर की छायाप्रति, कार्यालय के द्वारा बनाये गये प्रतिस्पर्धात्मक अभिलेख की छायाप्रति, क्रय आदेश की छायाप्रतियॉं, विभिन्न फर्मो के द्वारा दी गई गारंटी, वारंटी, टेस्ट रिपोर्ट आदि की छायाप्रति आदि चाही थी। जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 20.03.2006 को इस आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया कि मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है तथा तृतीय पक्ष की जानकारी देने से व्यावसायिक गोपनीयता भंग होगी। अतः अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया, जिसके कि विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर के

समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष अर्थात् जिनके द्वारा टेण्डर दिए गए थे, उनको नोटिस जारी कर उन्हें, जन सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को सुना गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया कि तृतीय पक्ष से संबंधित दस्तावेजों एवं राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार विमुक्त दस्तावेज तथा आफिस की नोटशीट को छोड़कर अन्य शेष उपलब्ध दस्तावेज निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरांत अपीलार्थी को प्रदान की जावे। इस आदेश के विरूद्ध असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने दोनों अपील प्रस्तुत की।

3/ प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर को नोटिस जारी किया गया। तृतीय पक्ष के द्वारा यद्यपि अपील नहीं की गई थी किन्तु न्याय हित में उनके पक्ष को भी सुनना आवश्यक प्रतीत होने से उन्हें भी नोटिस जारी किए गए। आयोग के द्वारा अपीलार्थी, प्रतिअपीलार्थी एवं तृतीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया।

4/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि राज्य विद्युत मण्डल के मुख्य अभियंता कार्यालय बिलासपुर के द्वारा समाचार पत्रों में खुली विज्ञप्ति प्रकाशित कर विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु समय–समय पर निविदाऐं आमंत्रित की। इसकी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न निविदाकर्ताओं ने अपनी निविदाऐं प्रस्तुत की। निविदाओं पर विचार कर सामग्री क्रय हेतु क्रय आदेश जारी किए गए तथा सामग्री प्राप्त होने पर गुणवत्ता का परीक्षण भी किया गया। निविदाऐं कार्यालय में जमा हो जाने के पश्चात् कार्यालय के अभिलेख हो जाते हैं अतः उक्त सार्वजनिक अभिलेख की प्रतिलिपियां दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्राप्त निविदाऐं गोपनीय दस्तावेज नहीं है क्योंकि इन्हीं के आधार पर विभाग के द्वारा कम्परेटिव नोट तैयार किया जाता है। अतः टेण्डर खुलने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को टेण्डर से संबंधित प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार है, इससे कोई व्यावसायिक गोपनीयता भंग नहीं होती। अतः तृतीय पक्ष की आपत्ति मान्य नहीं है। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत् रखते हुए विभिन्न निविदाकर्ताओं के द्वारा निविदा के साथ लगाये गये अभिलेख व्यावसायिक गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं तथा तृतीय पक्ष ने अभिलेख की प्रति दिए जाने में आपत्ति की थी। अतः उक्त अभिलेख दिए जाने से अस्वीकार किया गया। नोटशीट की प्रति भी शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 10.04.2006 के अनुसार नहीं दी गई। तृतीय पक्ष की ओर से उपस्थित श्री के.के. इंटरप्राईजेस, ग्वालियर, श्री तिवारी इंटरप्राइजेस, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत तर्को को भी सुना गया। श्री तिवारी इंटरप्राइजेस, रायपुर के द्वारा लिखित उत्तर भी प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बतलाया गया कि टेण्डर के साथ निविदाकर्ताओं ने बिल, व्यापारिक सप्लाई, जिस कंपनी का माल है उसकी जानकारी आदि का विवरण दिया है तथा तृतीय पक्ष ने उसे गोपनीय माना है। अतः यह जानकारी देने से तृतीय पक्ष के व्यावसायिक हितों को नुकसान होगा। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा यह भी बतलाया गया कि जिन निविदाकर्ताओं की निविदाऐं स्वीकृत हुई हैं उनकी सभी जानकारी देने को सहमत हैं किन्तु अन्य निविदाकर्ता जिनकी कि निविदा स्वीकृत नहीं हुई हैं, उनकी जानकारी देने से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उनकी व्यावसायिक गोपनीयता भंग हो सकती है क्योंकि इसे दिए जाने में कोई जनहित सम्मिलित नहीं है। आवेदक ब्लैकमेलिंग की उद्धेश्य से यह जानकारी चाह रहा है।

5/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत सामानों के क्रय हेतु समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन, प्राप्त टेण्डर कोटेशन, टेण्डर कोटेशन की शर्ते, स्वीकृत किये गए टेण्डर कोटेशन की छायाप्रतियां, प्राप्त की गई सामग्री का निरीक्षण एवं टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी चाही गई। टेण्डर देने वाली फर्मो ने केवल इस बात पर आपत्ति की है कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक गोपनीयता भंग होगी। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर के द्वारा भी इसी आधार पर प्रतिलिपि दिए जाने से इंकार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि टेण्डर प्राप्त हो जाने के पश्चात् निर्धारित तिथि को सभी संबंधित फर्मो जिनके द्वारा टेण्डर दिए गये हैं जिनकी उपस्थिति में टेण्डर खोले जाते हैं तथा उनके द्वारा फर्मो के द्वारा उल्लेखित की गई दर सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। टेण्डर के अवलोकन से ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिन्हें कि व्यवसाय गोपनीयता के आधार पर प्रकटन करने से रोका जा सके। पारदर्शिता बनाये रखने के लिए तथा इस उद्येश्य की प्राप्ति के लिए कि टेण्डर की स्वीकृति पूर्ण निष्पक्षता के साथ की गई है, इनका प्रकटन किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिन फर्मो के द्वारा तृतीय पक्ष के रूप में आपत्ति की गई है उनके द्वारा भी टेण्डर में उल्लेखित ऐसे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि दिए जाने में व्यवसाय गोपनीयता भंग करता हो। जिन फर्मो के द्वारा टेण्डर भरे गये हैं, वे सभी विभिन्न सामग्रियों के प्रदायकर्ता हैं। जनहित में जनसामान्य को यह जानने का अधिकार है कि विद्युत मण्डल के द्वारा जो सामग्री क्रय की गई है वह विधिवत् तरीके से और पूर्ण गुणवत्तायुक्त है। अतः आयोग यह मानता है कि विशाल लोकहित में प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में मांगे गये टेण्डर की वांछित जानकारी दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जन सूचना अधिकारी के द्वारा नोटशीट की छायाप्रति भी नहीं दी गई है। जिस आधार पर टेण्डर स्वीकृत किये गये हैं, पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित नोटशीट की छायाप्रति आवेदक को प्रदान की जावे।

6/ यदि टेण्डर को व्यवसाय गोपनीयता के आधार पर प्रकटन करने से इंकार किया जाता है तो सूचना का अधिकार का उद्येश्य ही समाप्त हो जावेगा। अतः आयोग प्रतिअपीलार्थी के तर्को से सहमत नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी काफी विस्तृत है अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि तिथि निर्धारित कर प्रतिअपीलार्थी 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेख अवलोकन हेतु सूचित करें तथा अपीलार्थी इसके पश्चात् 7 दिन के अंदर प्रतिअपीलार्थी को सूचित करेगा कि उसे कौन–कौन से अभिलेख की छायाप्रति चाहिए। तत्पश्चात् प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता, छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल, बिलासपुर के द्वारा 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को अभिलेखों की निःशुल्क प्रति प्रदान करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2 (एफ) के अंतर्गत अभिलेख की परिभाषा में फाईल भी सम्मिलित है जिसमें कि नोटशीट भी सम्मिलित होती है। अतः नोटशीट की प्रति भी अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को दी जाना चाहिए।

7/ अपीलार्थी के द्वारा प्रतिअपीलार्थी पर अभिलेख निर्धारित अवधि में न देने के कारण अर्थदण्ड आरोपित करने का भी अनुरोध किया है। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को अभिलेख नहीं दिए जाने का कारण तृतीय पक्ष से संबंधित तकनीकी कारण रहा है जिसे कि समझने में त्रुटि हुई। अतः यह नहीं माना जा

सकता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबुझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

8/ उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रतिअपीलार्थी को पूर्व में उल्लेखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त